



विज्ञापन नं.: RMRCNE/01/2025

दिनांक: 18.02.2025

**आई.सी.एम.आर. - आर.एम.आर.सी. एन.ई. में विभिन्न प्रशासनिक और तकनीकी पदों पर सीधी भर्ती**

आई.सी.एम.आर- क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र, पूर्वोत्तर क्षेत्र, डिब्रूगढ़, असम (आई.सी.एम.आर-आर.एम.आर.सी.एन.ई), भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में एक शोध संस्थान है, जो प्रशासनिक और तकनीकी संवर्ग के तहत विभिन्न पदों के लिए पात्र भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। केवल वहीं आवेदन स्वीकार किए जाएंगे जो दिए गए लिंक का उपयोग करके ऑनलाइन माध्यम से भरे जाएंगे एवं क्रम में पाए जाएंगे। उम्मीदवारों को पद के लिए आवेदन करने से पहले विस्तृत अधिसूचना को ध्यान से पढ़ना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि वे इस अधिसूचना में दर्शाए गए पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। पात्रता शर्तों को पूरा नहीं करने वाले आवेदकों की उम्मीदवारी बिना किसी सूचना के भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में रद्द कर दी जाएगी। भर्ती प्रक्रिया के सभी चरणों में आवेदकों की उम्मीदवारी पूर्णतः अस्थायी होगी।

**सभी पदों के लिए परीक्षा/ परीक्षण की महत्वपूर्ण समय-सीमा निम्नानुसार होगी:**

ऑनलाइन पंजीकरण एवं ऑनलाइन आवेदन जमा करने हेतु वेबसाइट लिंक खोलने की तिथि	जल्द ही उपलब्ध कराई जाएगी
ऑनलाइन पंजीकरण एवं ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि	जल्द ही उपलब्ध कराई जाएगी
आई.सी.एम.आर. - आर.एम.आर.सी. एन.ई. वेबसाइट से डाउनलोड करने के लिए प्रवेश पत्र की उपलब्धता की प्रारंभिक तिथि	आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि के बाद जल्द ही घोषित की जाएगी
कंप्यूटर आधारित परीक्षण (सी.बी.टी.) की तिथि और कंप्यूटर प्रवीणता /कौशल परीक्षण	प्रवेश पत्र में सूचित किया जाएगा

\* रिक्ति अधिसूचना पर अपडेट के लिए, आईसीएमआर और आईसीएमआर-आरएमआरसीएनई वेबसाइटों को नियमित रूप से देखा जा सकता है।

**आवश्यक योग्यता के साथ रिक्तियों का विवरण:**

पद का नाम	उच्च श्रेणी लिपिक
पद कोड	UDC02
पद का वर्गीकरण	ग्रुप - सी
वेतन मैट्रिक्स	वेतन मैट्रिक्स लेवल: ७वें सीपीसी का वेतन स्तर ४ (रु. २५५०० - ८११००)

आयु सीमा	२७ वर्ष से अधिक नहीं अर्थात आयु १८ से २७ वर्ष के बीच होनी चाहिए
रिक्तियों की संख्या और आरक्षण श्रेणी	१ पद (यू. आर. - १) *
शैक्षणिक और अन्य योग्यता	<ul style="list-style-type: none"> <li>i. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या समकक्ष ।</li> <li>ii. कंप्यूटर पर अंग्रेजी में ३५ शब्द प्रति मिनट या हिंदी में ३० शब्द प्रति मिनट की टंकण गति (प्रत्येक शब्द के लिए औसतन ५ कुंजी अवसादों पर १०५०० केडीपीएच / ९००० केडीपीएच के अनुरूप)</li> </ul>

पद का नाम	अवर श्रेणी लिपिक
पद कोड	LDC03
पद का वर्गीकरण	ग्रुप – सी
वेतन मैट्रिक्स	वेतन मैट्रिक्स लेवल: ७वें सीपीसी का वेतन स्तर २ (रु. १९९०० - ६३२००)
आयु सीमा	२७ वर्ष से अधिक नहीं अर्थात आयु १८ से २७ वर्ष के बीच होनी चाहिए
रिक्तियों की संख्या और आरक्षण श्रेणी	३ पद (यू. आर – २, ओ.बी.सी - १.) *
शैक्षणिक और अन्य योग्यता	<ul style="list-style-type: none"> <li>i. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से १२वीं कक्षा उत्तीर्ण या समकक्ष योग्यता ।</li> <li>ii. कंप्यूटर पर अंग्रेजी में ३५ शब्द प्रति मिनट या हिंदी में ३० शब्द प्रति मिनट की टंकण गति (प्रत्येक शब्द के लिए औसतन ५ कुंजी अवसादों पर १०५०० केडीपीएच / ९००० केडीपीएच के अनुरूप)</li> </ul>

पद का नाम	तकनीशियन-1
पद कोड	TECH06
पद का वर्गीकरण	ग्रुप – सी
वेतन मैट्रिक्स	वेतन मैट्रिक्स लेवल: ७वें सीपीसी का वेतन स्तर २ (रु. १९९०० - ६३२००)
आयु सीमा	२८ वर्ष से अधिक नहीं अर्थात आयु १८ से २८ वर्ष के बीच होनी चाहिए
रिक्तियों की संख्या और आरक्षण श्रेणी	४ पद (ओ.बी.सी – ३, एस. सी. - १)*
शैक्षणिक और अन्य योग्यता	सरकारी मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान विषय में १२वीं या इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना चाहिए, जिसमें ५५% अंक हों और सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी (डीएमएलटी) में कम से कम एक साल का डिप्लोमा होना चाहिए ।

पद का नाम	प्रयोगशाला परिचारक - १
पद कोड	LA07
पद का वर्गीकरण	ग्रुप - सी
वेतन मैट्रिक्स	वेतन मैट्रिक्स लेवल: ७वें सीपीसी का वेतन स्तर १ (रु. १८००० - ५६९००)
आयु सीमा	२५ वर्ष से अधिक नहीं अर्थात आयु १८ से २५ वर्ष के बीच होनी चाहिए
रिक्तियों की संख्या और आरक्षण श्रेणी	३ पद (यू. आर - २, ओ.बी.सी - १) *
शैक्षणिक और अन्य योग्यता	मान्यता प्राप्त बोर्ड से कुल मिलाकर ५०% अंकों के साथ १०वीं पास तथा संबंधित क्षेत्र में सरकारी मान्यता प्राप्त/अनुमोदित/पंजीकृत प्रयोगशाला में एक वर्ष का कार्य अनुभव या सरकारी एजेंसियों द्वारा जारी ट्रेड प्रमाणपत्र।

\*निदेशक, आईसीएमआर-आरएमआरसीएनई भर्ती के किसी भी चरण में किसी भी श्रेणी में रिक्तियों की संख्या बढ़ाने/घटाने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। निदेशक, आईसीएमआर-आरएमआरसीएनई बिना कोई कारण बताए किसी भी चरण में विज्ञापन वापस लेने का अधिकार भी सुरक्षित रखते हैं।

**संक्षिप्त नाम:** ओ.बी.सी. - अन्य पिछड़ा वर्ग, यू.आर. - अनारक्षित, एस.सी. - अनुसूचित जाति।

#### आवेदन कैसे करें

- उम्मीदवारों को केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से ही आवेदन करना होगा, जिसका लिंक आईसीएमआर / आईसीएमआर - आरएमआरसीएनई वेबसाइट पर उपलब्ध है। आवेदन का कोई अन्य माध्यम/तरीका स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के लिए वैध ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अनिवार्य है।
- नीचे उल्लेखित आवेदन शुल्क (अप्रतिदेय अर्थात वापस नहीं किया जाएगा) उपयुक्त पदों के लिए आवेदन हेतु लागू होगा:

पद का नाम	यू.आर. / ओ.बी.सी.	एस.सी. / महिला
अवर श्रेणी लिपिक	रु. २,०००/-	रु. १,६००/-
उच्च श्रेणी लिपिक		
तकनीशियन-१		
प्रयोगशाला परिचारक-१		

- आईसीएमआर के कर्मचारियों को आवेदन शुल्क के भुगतान हेतु कोई छूट नहीं दी जाएगी।
- आवेदन शुल्क का भुगतान उम्मीदवारों द्वारा आवेदन प्रक्रिया के दौरान केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से किया जायेगा। एक बार जमा की गई शुल्क राशि किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं की जाएगी और न ही शुल्क को किसी अन्य परीक्षा या चयन के लिए आरक्षित रखा जा सकता है।
- विभिन्न पदों के लिए आवेदन करने वाले इच्छुक उम्मीदवारों को प्रत्येक पद के लिए अलग-अलग आवेदन जमा करना होगा एवं लागू शुल्क का भुगतान भी अलग से करना होगा।

- उम्मीदवारों को अपने आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों (मूल) की स्कैन की गई प्रतियां अपलोड करनी होंगी: -
  - a) जन्म तिथि का प्रमाण पत्र।
  - b) जाती प्रमाण अर्थात् ओ.बी.सी. एन.सी.एल. (अनुलग्नक – I)
  - c) जाती प्रमाण अर्थात् एस.सी. (अनुलग्नक – III)
  - d) ओ.बी.सी. उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला घोषणापत्र (अनुलग्नक – II)
  - e) दसवीं कक्षा से आगे की शैक्षिक योग्यता का प्रमाण।
  - f) प्रत्येक पद के लिए आरंभिक तिथि और समाप्ति तिथि का स्पष्ट उल्लेख करते हुए कार्य अनुभव का प्रमाण पत्र।
  - g) सरकारी कर्मचारियों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (अनुलग्नक – IV)
  - h) पोष्ट कोड – TECH06 एवं LA07 के लिए आई.सी.एम.आर. परियोजनाओं में कार्यरत उम्मीदवारों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (अनुलग्नक – V) ।
  - i) निर्धारित प्रारूप में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए आयु में छूट के लिए अनुभव का प्रमाण पत्र (अनुलग्नक – VI) ।
  - j) अन्य दस्तावेज, यदि कोई हो।
- अभ्यर्थियों के साथ सभी पत्राचार केवल उनके पंजीकृत ईमेल आइडी के माध्यम से ही किए जाएंगे। परीक्षा कार्यक्रम/प्रवेश पत्र आदि से संबंधित सभी जानकारी ईमेल के माध्यम से और/ या संस्थान/ परिषद की वेबसाइट पर अपलोड करके प्रदान की जाएगी।
- प्रवेश पत्र प्राप्त करने, डाउनलोड करने और प्रिंट करने या अन्य किसी भी जानकारी की प्राप्ति की जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी।
- यदि अभ्यर्थी समय पर अपना मेल/ वेबसाइट एक्सेस करने में विफल रहते हैं या अभ्यर्थी द्वारा प्रदान की गई अमान्य/ गलत ईमेल आइडी के कारण भेजे गए ईमेल के खो जाने या सूचना के विलंब / प्राप्त न होने के लिए आई.सी.एम.आर. – आर.एम.आर.सी. एन.ई. जिम्मेदार नहीं होगा।
- अभ्यर्थियों को ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित परीक्षा में प्रवेश की अनुमति तभी दी जाएगी, जब उनके पास वैध फोटो प्रवेश पत्र होगा।
- प्रवेश पत्र में उल्लिखित कोई अन्य दस्तावेज भी उम्मीदवारों को परीक्षा में शामिल होने के दौरान साथ लाना होगा।
- यदि किसी उम्मीदवार द्वारा भर्ती प्रक्रिया के दौरान या उसके बाद किसी भी समय आवेदन में कोई गलत जानकारी दी जाती है या कोई जानकारी छिपाई जाती है, तो उसकी उम्मीदवारी/ सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं।

### अवर श्रेणी लिपिक (LDC03) और उच्च श्रेणी लिपिक (UDC02) के पद के लिए चयन प्रक्रिया

- पात्र अभ्यर्थियों के लिए उच्च श्रेणी लिपिक और अवर श्रेणी लिपिक के पद हेतु स्क्रीनिंग परीक्षाएं दो स्तरों (टियर-१: कंप्यूटर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नावली (एम.सी.क्यू.) परीक्षण और टियर-२: कंप्यूटर कौशल परीक्षा) में आयोजित की जाएंगी।
- कंप्यूटर आधारित परीक्षण (सी.बी.टी.) बहुविकल्पीय प्रश्नावली (एम.सी.क्यू.) आधार पर होगी; जिसमें कुल १०० प्रश्न होंगे जैसा कि नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	पद का नाम	विषय		प्रश्नों की संख्या	अंक	समय
१.	उच्च श्रेणी लिपिक और अवर श्रेणी लिपिक	अनुभाग - क	अंग्रेजी भाषा	२०	२०	कुल समय ९० मिनट होगा। कोई अनुभागवार अर्हक (क्वालीफाइंग) अंक नहीं होंगे।
		अनुभाग - ख	समसामयिक घटनाओं पर आधारित सामान्य ज्ञान	२०	२०	
		अनुभाग - ग	तर्क शक्ति एवं सामान्य बुद्धिमत्ता	२०	२०	
		अनुभाग - घ	कंप्यूटर योग्यता	२०	२०	
		अनुभाग - ङ.	मात्रात्मक योग्यता	२०	२०	
कुल				१००	१००*	

\* कंप्यूटर आधारित परीक्षा खंड 'क' के लिए अंग्रेजी भाषा में होगी और खंड 'ख' से 'ङ.' के लिए द्विभाषी अर्थात् अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में होगी।

\* सी.बी.टी. में निगेटिव मार्किंग होगी; प्रत्येक सही उत्तर के लिए १ अंक दिया जाएगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ०.२५ अंक घटा दिए जाएंगे। विषय-वस्तु से प्रश्न आवश्यक योग्यता के अनुरूप स्तर के होंगे।

- उच्च श्रेणी लिपिक और अवर श्रेणी लिपिक पद के लिए सी.बी.टी.में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त किए जाने वाले न्यूनतम आवश्यक योग्यता अंक (पास अंक) नीचे दिए गए हैं:

श्रेणी	न्यूनतम आवश्यक योग्यता अंक
यू.आर./ओ.बी.सी.	५०%

- उच्च श्रेणी लिपिक और अवर श्रेणी लिपिक के पद के लिए उम्मीदवारों को सी.बी.टी. में उनके प्रदर्शन के आधार पर चयनित किया जाएगा और उन्हें कंप्यूटर कौशल परीक्षा हेतु बुलाया जाएगा, जो नीचे दिए अनुसार अर्हक (क्वालीफाइंग) प्रकृति का होगा:

परीक्षण का नाम	टंकण गति	कुंजी अवसाद
कंप्यूटर आधारित टंकण परीक्षण	अंग्रेजी में ३५ शब्द प्रति मिनट या हिंदी में ३० शब्द प्रति मिनट	३५ w.p.m. और ३० w.p.m. प्रत्येक शब्द के लिए ५ कुंजी अवसादों के औसत पर १०५०० KDPH / ९००० KDPH के अनुरूप हैं।

- 'योग्यता के बाद के अनुभव' के लिए भार (अधिकतम ५ अंक) – इसके अलावा, किसी भी सरकारी मान्यता प्राप्त या अनुमोदित या पंजीकृत संगठन में 'योग्यता के बाद के अनुभव' रखने वाले उम्मीदवारों को ५ अंक तक दिए जाएंगे। अनुभव के लिए वेटेज अंक नीचे दिए अनुसार दिए जाएंगे:

योग्यता के बाद अनुभव भार तालिका	
प्रासंगिक अनुभव	भारित (अंक)
>१ से २ वर्ष तक	१
>२ और <४ वर्ष	२
>४ और <६ वर्ष	३
>६ और <८ वर्ष	४
>= ८ वर्ष	५

**उच्च श्रेणी लिपिक और अवर श्रेणी लिपिक पद के संबंध में महत्वपूर्ण नोट:**

- सी.बी.टी. और योग्यता के बाद के अनुभव का संचयी भार १००% होगा और कंप्यूटर कौशल परीक्षा अर्हक (क्वैलीफाइंग) प्रकृति की होगी।
- सी.बी.टी.में उनके प्रदर्शन के आधार पर उम्मीदवारों को १:१० अनुपात (संबंधित श्रेणी में प्रत्येक रिक्ति के लिए १० उम्मीदवार) में कंप्यूटर कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा।
- सी.बी.टी.में उम्मीदवारों के अंकों को अंतिम मेरिट सूची के लिए तभी माना जाएगा जब उम्मीदवार कंप्यूटर कौशल परीक्षा उत्तीर्ण करेगा।
- कौशल परीक्षण के अर्हक (क्वैलीफाइंग) अंक बाद में सूचित किए जाएंगे।
- सी.बी.टी.स्कोर का भार ९५% है और योग्यता के बाद के अनुभव के लिए अधिकतम ५ अंक दिए जाएंगे। प्राप्त योग का भार १००% होगा और यह अंतिम अंक होगा, जिससे अंतिम मेरिट सूची तैयार की जाएगी।

**तकनीशियन -१ (TECH06) और प्रयोगशाला परिचारक-१ (LA07) पद के लिए चयन प्रक्रिया**

योग्य उम्मीदवारों के लिए तकनीशियन -१ और प्रयोगशाला परिचारक-१ पद के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सी.बी.टी.) बहुविकल्पीय प्रश्नावली (एम.सी.क्यू.) आधार पर होगी, जिसमें कुल १०० प्रश्न होंगे जैसा की निचे दिया गया है:

क्र. सं.	पद का नाम	विषय		प्रश्नों की संख्या	अंक	समय
१.	तकनीशियन -१ और प्रयोगशाला परिचारक-१	अनुभाग - क	अंग्रेजी भाषा	१०	१०	कुल समय ९० मिनट होगा।
		अनुभाग - ख	समसामयिक घटनाओं पर आधारित सामान्य ज्ञान	१०	१०	
		अनुभाग - ग	तर्क शक्ति एवं सामान्य बुद्धिमत्ता	१०	१०	कोई अनुभागवार अर्हक (क्वैलीफाइंग) अंक नहीं होंगे।
		अनुभाग - घ	मात्रात्मक योग्यता	१०	१०	
		अनुभाग - ङ.	विषय ज्ञान/कौशल परीक्षण अर्थात मूल जीव विज्ञान	६०	६०	
<b>कुल</b>				<b>१००</b>	<b>१००*</b>	

\* कंप्यूटर आधारित परीक्षा खंड 'क' के लिए अंग्रेजी भाषा में होगी और खंड 'ख' से 'ङ.' के लिए द्विभाषी अर्थात अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में होगी।

\* सी.बी.टी. में निगेटिव मार्किंग होगी; प्रत्येक सही उत्तर के लिए १ अंक दिया जाएगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ०.२५ अंक घटा दिए जाएंगे। विषय-वस्तु से प्रश्न आवश्यक योग्यता के अनुरूप स्तर के होंगे।

• तकनीशियन -१ और प्रयोगशाला परिचारक-१ के पद के लिए सी.बी.टी. में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त किए जाने वाले न्यूनतम आवश्यक योग्यता अंक (पास अंक) निचे दिए गए हैं:

श्रेणी	न्यूनतम आवश्यक योग्यता अंक
यू.आर./ओ.बी.सी.	५०%
एस.सी.	४०%

- 'योग्यता उपरांत अनुसंधान/प्रयोगशाला अनुभव' के लिए वेटेज (अधिकतम ५ अंक) – इसके अलावा, किसी भी सरकारी मान्यता प्राप्त या अनुमोदित या पंजीकृत संगठन में 'योग्यता के बाद अनुसंधान/प्रयोगशाला अनुभव' रखने वाले उम्मीदवारों को ५ अंक तक दिए जाएंगे। अनुभव के लिए वेटेज अंक नीचे दिए गए अनुसार दिए जाएंगे:

योग्यता के बाद अनुभव भार तालिका	
प्रासंगिक अनुभव	भारित (अंक)
>१ से २ वर्ष तक	१
>२ और <४ वर्ष	२
>४ और <६ वर्ष	३
>६ और <८ वर्ष	४
>= ८ वर्ष	५

तकनीशियन -१ और प्रयोगशाला परिचारक-१ पद के संबंध में महत्वपूर्ण नोट:

- सी.बी.टी. और योग्यता के बाद का अनुभव का कुल वेटेज १००% होगा।
- सी.बी.टी. स्कोर को ९५% में बदल दिया जाएगा और योग्यता के बाद का अनुभव के लिए अधिकतम ५ अंक दिए जाएंगे। प्राप्त योग का वेटेज १००% होगा और यह अंतिम स्कोर होगा, जिसके आधार पर अंतिम मेरिट सूची तैयार की जाएगी।

पाठ्यक्रम:

उच्च श्रेणी लिपिक और अवर श्रेणी लिपिक पद के लिए सी.बी.टी. पाठ्यक्रम	
विषय	पाठ्यक्रम
अंग्रेजी भाषा	Comprehension, One word substitution, Synonyms and Antonyms, Spelling error, spotting error in sentences, Grammar - Noun, Pronoun, Adjective, Verb, Preposition, Conjunction, Use of "A", "AN" and "THE", Idioms and Phrases.
समसामयिक घटनाक्रम एवं सामान्य ज्ञान	भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय राजनीति और संविधान, विज्ञान और वैज्ञानिक अनुसंधान, पुरस्कार, खेल, आईसीएमआर सहित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन/संस्थाएं, समसामयिक घटनाक्रम - भारत और विश्व।
तर्क शक्ति एवं सामान्य बुद्धिमता	समानताएं - प्रतीकात्मक/संख्या समानता, अर्थगत समानता, आकृति समानता, समानताएं और भेद, शब्द निर्माण, संबंध अवधारणाएँ, दृश्य धारणा, भेदभाव, अवलोकन, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, अर्थ श्रृंखला, संख्या श्रृंखला, कोडिंग और डिकोडिंग-छोटे और बड़े अक्षर/संख्या कोडिंग, डिकोडिंग और वर्गीकरण।
कंप्यूटर योग्यता	कंप्यूटर की विशेषताएं, रैम, रोम, फाइल सिस्टम, इनपुट डिवाइस सहित कंप्यूटर संगठन, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर - हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध, ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस-ऑफिस (वर्ड, एक्सेल / स्प्रेडशीट, पावर प्वाइंट का एक्सपोजर), सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, डिजिटल हस्ताक्षर, ई-गवर्नेंस के लिए सरकार में सूचना प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग, मोबाइल / स्मार्टफोन की सूचना कियोस्क।

मात्रात्मक योग्यता (गणित)	संख्या पद्धति, दशमलव, भिन्न, न्यूनतम समापवर्त्य, लघुत्तम समापवर्त्य, अनुपात और समानुपात, प्रतिशत, औसत, लाभ और हानि, साधारण और चक्रवृद्धि व्याज, समय और कार्य, समय और दूरी, क्षेत्रमिति (२डी. और ३डी.), बीजगणित, डेटा व्याख्या, तालिका और ग्राफ़ आदि।
---------------------------	--

तकनीशियन -१ और प्रयोगशाला परिचारक-१ पद के लिए सी.बी.टी. पाठ्यक्रम		
विषय	पाठ्यक्रम	
अंग्रेजी भाषा	Comprehension, One word substitution, Synonyms and Antonyms, Spelling error, spotting error in sentences, Grammar - Noun, Pronoun, Adjective, Verb, Preposition, Conjunction, Use of "A", "AN" and "THE", Idioms and Phrases.	
समसामयिक घटनाक्रम एवं सामान्य ज्ञान	भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय राजनीति और संविधान, विज्ञान और वैज्ञानिक अनुसंधान, पुरस्कार, खेल, आईसीएमआर सहित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन/संस्थाएं, समसामयिक घटनाक्रम - भारत और विश्व।	
तर्क शक्ति एवं सामान्य बुद्धिमता	समानताएं - प्रतीकात्मक/संख्या समानता, अर्थगत समानता, आकृति समानता, समानताएं और भेद, शब्द निर्माण, संबंध अवधारणाएँ, दृश्य धारणा, भेदभाव, अवलोकन, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, अर्थ श्रृंखला, संख्या श्रृंखला, कोडिंग और डिकोडिंग-छोटे और बड़े अक्षर/संख्या कोडिंग, डिकोडिंग और वर्गीकरण।	
कंप्यूटर योग्यता	कंप्यूटर की विशेषताएं, रैम, रोम, फाइल सिस्टम, इनपुट डिवाइस सहित कंप्यूटर संगठन, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर - हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध, ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस-ऑफिस (वर्ड, एक्सेल / स्प्रेडशीट, पावर प्वाइंट का एक्सपोजर), सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, डिजिटल हस्ताक्षर, ई-गवर्नेंस के लिए सरकार में सूचना प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग, मोबाइल / स्मार्टफोन की सूचना कियोस्का।	
मात्रात्मक योग्यता (गणित)	संख्या पद्धति, दशमलव, भिन्न, न्यूनतम समापवर्त्य, लघुत्तम समापवर्त्य, अनुपात और समानुपात, प्रतिशत, औसत, लाभ और हानि, साधारण और चक्रवृद्धि व्याज, समय और कार्य, समय और दूरी, क्षेत्रमिति (२डी. और ३डी.), बीजगणित, डेटा व्याख्या, तालिका और ग्राफ़ आदि।	
विषय ज्ञान/कौशल परीक्षण अर्थात् मूल जीव विज्ञान	तकनीशियन -१ हेतु	आणविक जीवविज्ञान (Molecular Biology), इम्यूनोलॉजी (Immunology), डी.एम.एल.टी. (DMLT)
	प्रयोगशाला परिचारक-१ हेतु	वनस्पति विज्ञान (Botany), जीवविज्ञान (Zoology), चिकित्सा शब्दावली (Medical Terminology), बुनियादी प्रयोगशाला तकनीक (Basic Laboratory Techniques) आदि।

**नोट:**

1. सभी पदों के लिए समान पाठ्यक्रम हेतु परीक्षा का कठिनाई स्तर आवश्यक योग्यता के अनुरूप होगा।
2. उपरोक्त सभी परीक्षाओं में शामिल होने का खर्च अभ्यर्थियों को स्वयं वहन करना होगा, आईसीएमआर – आर.एम.आर.सी. एन.ई. ऐसे किसी भी खर्च को प्रतिपूर्ति करने का हकदार नहीं होगा।

## कंप्यूटर आधारित परीक्षण के लिए शहर/केंद्र

- डिब्रूगढ़ / गुवाहाटी

## कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षण और कंप्यूटर कौशल परीक्षण के लिए शहर/केंद्र

- डिब्रूगढ़ / गुवाहाटी

## सभी पदों के लिए नियम और शर्तें

### राष्ट्रीयता

- आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए।

### आयु सीमा

- अधिकतम आयु सीमा ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के अनुसार निर्धारित की जाएगी।
- आयु निर्धारित करने के लिए केवल मैट्रिकुलेशन/माध्यमिक परीक्षा प्रमाण पत्र में दर्ज जन्म तिथि ही स्वीकार की जाएगी और बाद में परिवर्तन के लिए कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- अनारक्षित रिक्तियों के लिए आवेदन करने वाले एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी. उम्मीदवारों को कोई आयु छूट उपलब्ध नहीं होगी।
- आईसीएमआर द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं में लगातार काम करने वाले उम्मीदवार भी पोस्ट कोड: TECH06 और LA07 के लिए पांच साल तक की आयु छूट के लिए पात्र होंगे, बशर्ते की उसने पद के लिए निर्धारित आयु सीमा के भीतर परियोजना सेवा में प्रवेश किया हो। अनुलग्नक VI में निर्धारित प्रारूप में अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के अनुसार आयु छूट का दावा करने के लिए सरकारी आदेशों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में अनुमेय छूट निम्नानुसार है:-

श्रे. कोड	श्रेणी	ऊपरी आयु सीमा से परे आयु में छूट स्वीकार्य है।	
०१	एस.सी.	५ वर्ष	
०२	ओ.बी.सी.	३ वर्ष	
०३	केंद्रीय सरकार के नागरिक कर्मचारी	ग्रुप ए और बी पदों के लिए आयु में छूट	ग्रुप सी पदों पर नियुक्ति के लिए आयु सीमा
	१) केन्द्रीय सरकार के नागरिक (सिविल) कर्मचारी जो कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के दिनांक २७ मार्च २०१२ के कार्यालय ज्ञापन संख्या 15012/2/2010-Estt. (D) के तहत निर्धारित शर्तों को पूरा करते हों (सामान्य/अनारक्षित) जिन्होंने आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि तक कम से कम ३ वर्ष की नियमित और निरंतर सेवा की हो।	५ वर्ष	४० वर्ष
	२) केन्द्र सरकार के नागरिक (सिविल) कर्मचारी (ओ.बी.सी.) जिन्होंने आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि तक कम से कम ३ वर्ष की नियमित और निरंतर सेवा प्रदान की हो।	८ (५+३) वर्ष	४३ (४०+३) वर्ष
	३) केन्द्र सरकार के नागरिक (सिविल) कर्मचारी (एस.सी.) जिन्होंने आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि तक कम से कम ३ वर्ष की नियमित और निरंतर सेवा की हो।	१० (५+५) वर्ष	४५ (४०+५) वर्ष

नोट:

- I. आरक्षित श्रेणी के आवेदकों के लिए आयु में छूट केवल उन मामलों में स्वीकार्य है, जहाँ रिक्तियाँ ऐसी श्रेणियों के लिए आरक्षित हैं। आरक्षित श्रेणी के आवेदक, जो अनारक्षित रिक्तियों के लिए आवेदन करते हैं, उन्हें आयु में छूट केवल उसी सीमा तक मिलेगी, जितनी कि यह अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को उपलब्ध है।
- II. आवेदक ऊपरी आयु सीमा में छूट पाने के लिए अपनी पात्रता की सावधानीपूर्वक जाँच कर सकते हैं। यदि पात्र हैं, तो उन्हें उनके लिए लागू उचित श्रेणी कोड भरना होगा।

• सरकारी सिविल कर्मचारी आवेदकों के लिए आयु में छूट प्राप्त करने की शर्तें: -

विभागीय उम्मीदवारों और केंद्र सरकार के कर्मचारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि, उन्होंने आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक उसी लाइन या संबद्ध संवर्ग में नियमित आधार पर (और तदर्थ/परियोजना अनुबंध के आधार पर नहीं) कम से कम ०३ (तीन) वर्ष की निरंतर सेवा प्रदान की हो और उम्मीदवार वर्तमान विज्ञापन के अनुसार आई.सी.एम.आर.-आर.एम.आर.सी.एन.ई. से नियुक्ति का प्रस्ताव प्राप्त होने तक उपरोक्त कार्यालयों में से किसी में भी सिविल पद पर सरकारी सेवा में पदस्थ हो। आयु में छूट का लाभ प्राप्त करने के लिए, उन्हें अनिवार्य रूप से सक्षम प्राधिकारी से निर्धारित प्रारूप के अनुसार अपेक्षित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा और आई.सी.एम.आर.-आर.एम.आर.सी.एन.ई. द्वारा मांगे जाने पर घोषणापत्र भी प्रस्तुत करनी होगी, अन्यथा आयु में छूट के उनके दावों पर विचार नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, उन्हें दस्तावेजों के सत्यापन के समय अपने नियोक्ता से "अनापत्ति प्रमाण पत्र" (अनुलग्नक IV) और "सतर्कता मंजूरी प्रमाण पत्र" प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी, ऐसा न करने पर उनकी उम्मीदवारी उसी चरण में या भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में रद्द की जा सकती है।

**नोट:** अभ्यर्थियों को ध्यान रखना चाहिए कि यदि आईसीएमआर-आरएमआरसीएनई को उनके नियोक्ता से कोई ऐसा संदेश प्राप्त होता है जिसमें अभ्यर्थी को आवेदन करने या परीक्षा में शामिल होने अथवा भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में अनुमति देने से मना किया जाता है, तो उनके आवेदन अस्वीकार कर दिए जाएंगे और उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

**परिवीक्षा:**

- परिवीक्षा की अवधि सभी पदों के लिए कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष होगी। परिवीक्षा के संबंध में अन्य नियम और शर्तें समय-समय पर जारी आई.सी.एम.आर./भारत सरकार के नियमों के अनुसार होंगी।

**अन्य नियम एवं शर्तें:**

- आवेदन पत्र में एक बार भरी गई श्रेणी को बदला नहीं जा सकता है और बाद में किसी अन्य श्रेणी का लाभ नहीं दिया जाएगा।
- आयु में छूट के प्रयोजन हेतु ओ.बी.सी. प्रमाण पत्र का अर्थ होगा- "ओ.बी.सी. श्रेणी के अंतर्गत वे व्यक्ति जो क्रीमी लेयर से संबंधित नहीं हैं", जैसा कि डी.ओ.पी.टी. के दिनांक ०८.०९.१९९३ के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93-Estt.(SCT) में परिभाषित किया गया है, जिसे दिनांक ०९.०३.२००४ और १४.१०.२००८ के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/3/2004-Estt.(Res) द्वारा संशोधित किया गया और बाद में दिनांक २७.०५.२०१३ के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36035/1/2013-Estt.(Res) द्वारा संशोधित किया गया। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को उम्मीदवार की ओ.बी.सी. स्थिति के लिए गणना की तिथि के रूप में माना जाएगा और यह भी माना जाएगा कि उम्मीदवार गणना तिथि पर क्रीमी लेयर में नहीं आता है। इसलिए, ओ.बी.सी. उम्मीदवारों को **अनुलग्नक-I** में दिए गए निर्धारित प्रारूप में वैध और अद्यतन ओ.बी.सी. प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें विशेष रूप से "क्रीमी लेयर से बहिष्करण" के बारे में खंड शामिल होना चाहिए। आयु में छूट पाने के लिए, उन्हें **अनुलग्नक - II** में दिए गए निर्धारित प्रारूप में एक घोषणा पत्र प्रस्तुत करनी होगी।

- ओ.बी.सी. उम्मीदवार जो "क्रीमी लेयर" श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, उन्हें अपनी श्रेणी सामान्य के रूप में दर्शानी होगी।
- अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को निर्धारित प्रारूप (अनुलग्नक-III) में जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- केंद्र/राज्य सरकार के विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि में कार्यरत उम्मीदवारों को "अनापत्ति प्रमाण पत्र और सतर्कता मंजूरी प्रमाण पत्र" प्रस्तुत करना होगा। (अनुलग्नक-IV)
- आई.सी.एम.आर. द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं में कार्यरत उम्मीदवारों को निर्धारित प्रारूप में "अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्रस्तुत करना होगा। (अनुलग्नक-V)
- विभागीय उम्मीदवार, जिन्हें आयु में छूट की आवश्यकता है, उन्हें अपने नियोक्ता से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। (अनुलग्नक-VI)
- विभागीय उम्मीदवार शब्द का अर्थ उन उम्मीदवारों से है जो वर्तमान में आईसीएमआर सहित केंद्र सरकार के साथ स्थायी कर्मचारी के रूप में काम कर रहे हैं।
- परीक्षा केवल डिब्रूगढ़/गुवाहाटी में आयोजित की जाएगी। हालाँकि, सक्षम प्राधिकारी इस संबंध में सभी अधिकार सुरक्षित रखता है। स्थान परिवर्तन आदि के लिए कोई अनुरोध/पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा। परीक्षा केंद्र का नाम और तिथि/समय बाद में सूचित किया जाएगा।
- किसी भी पूछताछ/पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।
- सभी पदों पर अखिल भारतीय स्थानांतरण की देयता है। चयनित उम्मीदवारों को आई.सी.एम.आर./आई.सी.एम.आर.-आर.एम.आर.सी. एन.ई. के नियंत्रण में किसी भी संस्थान/केंद्र/क्षेत्र इकाई में तैनात किया जा सकता है। चयनित उम्मीदवारों को आईसीएमआर-आरएमआरसीएनई, डिब्रूगढ़ में रिपोर्ट करने के निर्देश के साथ नियुक्ति का प्रस्ताव दिया जा सकता है। इस मामले में कोई टीए/डीए पर विचार नहीं किया जाएगा।
- चयन के बाद या उसके बाद विशिष्ट पोस्टिंग/स्थानांतरण के लिए कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- वित्त मंत्रालय, आर्थिक मामला विभाग (ई.सी.बी. और पी.आर. प्रभाग), अधिसूचना संख्या 5/7/2003-ECB&PR दिनांक २२.१२.२००३ में निहित प्रावधान के अनुसार नए प्रवेशकों के लिए नई संरचित परिभाषित अंशदायी पेंशन प्रणाली का लाभ स्वीकार्य है, जो ०१.०१.२००४ से प्रभावी है।
- चयन/भर्ती के संबंध में उम्मीदवार द्वारा या उसकी ओर से कोई भी प्रचार करना या राजनीतिक या अन्य बाहरी प्रभाव डालना अनुचित व्यवहार समझा जाएगा और इसके परिणामस्वरूप अयोग्यता घोषित कर दिया जाएगा।
- अनुभव प्रमाण पत्र (कार्य अनुभव) सरकारी मान्यता प्राप्त/अनुमोदित/पंजीकृत संस्थान आदि के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाना चाहिए तथा इसमें नाम, पदनाम, कार्य अनुभव की अवधि (अवधि से-तक), उम्मीदवार द्वारा किए गए कर्तव्यों की प्रकृति आदि स्पष्ट रूप से दर्शाए जाने चाहिए।
- शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/संगठन/प्रतिष्ठित संस्थान से होनी चाहिए तथा अनुभव किसी सरकारी मान्यता प्राप्त/अनुमोदित/पंजीकृत संस्थान में होना चाहिए।
- केवल योग्यता-पश्चात अनुभव पर ही विचार किया जाएगा।
- चूंकि भारत सरकार ने ग्रुप 'बी' और 'सी' (अराजपत्रित) पदों के लिए साक्षात्कार आयोजित करने की व्यवस्था समाप्त कर दी है, इसलिए ऐसे पदों के लिए कोई साक्षात्कार नहीं होगा।
- कोई भी व्यक्ति (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है, जिसका पति या पत्नी जीवित है या (ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, बशर्ते कि केंद्र सरकार, यदि संतुष्ट हो कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमेय है तथा ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो किसी भी व्यक्ति को इस नियम के संचालन से छूट दे सकती है।

- कम्प्यूटर आधारित परीक्षा / कौशल परीक्षण में भाग लेने के लिए कोई यात्रा/दैनिक भत्ता नहीं दिया जाएगा तथा अभ्यर्थियों को अपनी व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
- इस विज्ञापन के जवाब में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को उनके अपने हित में सलाह दी जाती है कि वे आवेदित पद के लिए अपनी पात्रता के बारे में स्वयं संतुष्ट हो लें। उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि वे आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि तक सभी पात्रता मानदंड जैसे आयु सीमा, आवश्यक योग्यता, अनुभव, आरक्षण आदि को पूरा करते हैं। यदि भर्ती के किसी भी चरण में या नियुक्ति के बाद भी यह संज्ञान में आता है कि कोई भी अभ्यर्थी उपर्युक्त पात्रता मानदंड के संबंध में अपेक्षित योग्यताएं पूरी नहीं करता है या उसने आवेदन पत्र में कोई गलत या झूठी या भ्रामक जानकारी दी है या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है या अन्यथा पात्र नहीं है, तो उसकी उम्मीदवारी बिना कोई कारण बताए या नोटिस दिए स्वतः ही रद्द हो जाएगी, भले ही उसने परीक्षा में कितने भी अंक प्राप्त किए हों तथा इस संबंध में कोई पूछताछ/अनुरोध/पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- भर्ती प्रक्रिया में किसी भी अपडेट के लिए आई.सी.एम.आर./ आई.सी.एम.आर.- आर.एम.आर.सी. एन.ई. की वेबसाइट पर जाना उम्मीदवारों की जिम्मेदारी है। आई.सी.एम.आर. - आर.एम.आर.सी. एन.ई. किसी अन्य स्रोत से उपलब्ध जानकारी के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
- किसी भी विवाद के लिए अधिकार क्षेत्र डिब्रूगढ़ में होगा।

**आई.सी.एम.आर.- आर.एम.आर.सी. एन.ई. के निदेशक के पास निम्न अधिकार सुरक्षित हैं: -**

- आवेदनों की स्क्रीनिंग के लिए मानदंड तय करना ताकि कम्प्यूटर आधारित परीक्षा के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या सीमित हो सके। उम्मीदवार द्वारा केवल आवश्यक योग्यता और अपेक्षित अनुभव पूरा करना कम्प्यूटर आधारित परीक्षा के लिए बुलाए जाने का कोई अधिकार नहीं देता है।
- चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में किसी भी श्रेणी में रिक्तियों की संख्या में वृद्धि/कमी/हटा सकता है।
- बिना कोई कारण बताए विज्ञापित पदों में से किसी/सभी को भरना या न भरना।
- भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में विज्ञापन में किसी भी अनजाने में हुई त्रुटि या चूक को आई.सी.एम.आर./ आई.सी.एम.आर. - आर.एम.आर.सी. एन.ई. की वेबसाइट पर अधिसूचित करके सुधारना।

**निदेशक**

**FORM OF CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY OTHER BACKWARD CLASSES (OBC) APPLYING FOR  
APPOINTMENT TO POSTS UNDER THE GOVERNMENT OF INDIA**

This is to certify that Shri/Smt./Km\* \_\_\_\_\_ son/ daughter of \_\_\_\_\_ of village \_\_\_\_\_ District/Division \_\_\_\_\_ in the \_\_\_\_\_ State \_\_\_\_\_ belongs to the \_\_\_\_\_ Community which is recognized as a backward class under:

- i) Resolution No. 12011/68/93- BCC dated the 10th September, 1993, published in the Gazette of India Extraordinary - Part I, Section I, No. 186 dated 13th September, 1993.
- ii) Resolution No. 12011/9/94-BCC, dated 19.10.1994 published in Gazette of India extraordinary Part I Section I No. 163, dated 20th October, 1994.
- iii) Resolution No. 12011/7/95-BCC dated the 24th May 1995 Published in the Gazette of India extraordinary Part-I Section I No. 88 dated 25th May, 1995.
- iv) Resolution No.12011/96/94-BCC dated 9th March, 1996.
- v) Resolution No. 12011/44/96-BCC, dated the 6th December, 1996, published in the Gazette of India - Extraordinary-part I, Section-I, No. 210, dated the 11th December, 1996.
- vi) Resolution No.12011/13/97-BCC dated 3rd December, 1997.
- vii) Resolution No.12011/99/94-BCC dated 11th December, 1997.
- viii) Resolution No.12011/68/98-BCC dated 27th October, 1999.
- ix) Resolution No.12011/88/98-BCC dated 6th December, 1999, published in the Gazette of India, Extra Ordinary Part-I, Section-I No.270, 6th December, 1999.
- x) Resolution No.12011/36/99-BCC dated 4th April, 2000, published in the Gazette of India, Extra Ordinary Part-I, Section-I, No.71 dated 4th April, 2000.
- xi) Resolution No.12011/44/99-BCC dated 21.9.2000, published in the Gazette of India, Extra Ordinary Part-I, Section-I, No.210 dated 21.9.2000.

Shri /Smt./Km. \_\_\_\_\_ and/or his family ordinarily reside(s) in the \_\_\_\_\_ District/Division of the \_\_\_\_\_ State.

This is also to certify that he/she does not belong to the persons/sections ( Creamy Layer ) mentioned in Column 3 of the Schedule to the Government of India, Department of Personnel and Training O.M. No. 36012/22/93 - Estt.(SCT) dated 8.9.1993 and modified vide Govt. of India, DOP&T O.M.No.36033/3/2004 dated 09.03.2004 and 14.10.2008.

Dated:

District Magistrate or  
Deputy Commissioner etc.  
Seal:

NOTE-I:(a) The term 'Ordinarily' used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the People Act, 1950.

(b) The authorities competent to issue Caste Certificate are indicated below :-

- (i) District Magistrate/ Additional Magistrate/Collector/Dy. Commissioner/ Additional Deputy Commissioner/Deputy Collector/1<sup>st</sup> Class Stipendary Magistrate/ Sub-Divisional Magistrate/Taluka Magistrate/ Executive Magistrate/Extra Assistant Commissioner (not below the rank of 1st Class Stipendary Magistrate).
- (ii) Chief Presidency Magistrate /Additional Chief Presidency Magistrate/ Presidency Magistrate.
- (iii) Revenue Officer not below the rank of Tehsildar.
- (iv) Sub- Divisional Officer of the area where the candidate and/or his family resides.

NOTE- II: The closing date for receipt of application will be treated as the date of reckoning for OBC status of the candidate and also, for assuring that the candidate does not fall in the creamy layer. The OBC candidates should furnish the relevant OBC Certificate in the prescribed format prescribed for Central Government jobs issued by the competent authority on or before the Closing Date as stipulated in the Notice.

FORM OF DECLARATION/UNDERTAKING TO BE SUBMITTED BY OBC CANDIDATE (IN ADDITION TO THE  
COMMUNITY CERTIFICATE)

I, \_\_\_\_\_ Son/Daughter of Shri \_\_\_\_\_ resident  
of \_\_\_\_\_ village/town/city  
\_\_\_\_\_ District \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ State \_\_\_\_\_ hereby declare that I belong to the  
\_\_\_\_\_ community which is recognized as a backward class by the  
Government of India for the purpose of reservation in Service admission in Central Govt. institutions as per  
orders contained in the Department of Personnel and Training Office Memorandum No. 36012/22/93-Estt.(SCT)  
dated 08th September, 1993. I also declare that I do not belong to the persons/sections (Creamy Layer)  
mentioned in Column 3 of the Schedule to the above referred Office Memorandum dated 08th September, 1993,  
which is modified vide Department of Personnel and Training Office Memorandum No. 36033/1/2013-Estt.  
(Res.) dated 14th September, 2017

Signature of Candidates: \_\_\_\_\_

Full Name: \_\_\_\_\_

Correspondence Address: \_\_\_\_\_

Place:

Date:

**PRESCRIBED PROFORMAE**

**Performa-I**

**The form of certificate to be produced by Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates applying for appointment to posts under the Government of India**

This is to certify that Shri/Shrimati/Kumari\*.....  
son/daughter\* of ..... of village/town\*  
..... in District/Division\* ..... of the  
State/Union Territory\* ..... belongs to the..... caste/tribe\* which is  
recognised as a Scheduled Caste/Scheduled Tribe\* under:—

- @ The Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950
- @ The Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950
- @ The Constitution (Scheduled Castes) Union Territories Order, 1951
- @ The Constitution (Scheduled Tribes) Union Territories Order, 1951

[as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes List (Modification) Order, 1956; the Bombay Reorganisation Act, 1960, the Punjab Reorganisation Act, 1966, the State of Himachal Pradesh Act, 1970, the North Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971, the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Order (Amendment) Act, 1976., the State of Mizoram Act, 1986, the State of Arunachal Pradesh Act, 1986 and the Goa, Daman and Diu (Reorganisation) Act, 1987.]

- @ The Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956
- @ The Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959 as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Order (Amendment) Act, 1976
- @ The Constitution (Dadar and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962
- @ The Constitution (Dadar and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962
- @ The Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964
- @ The Constitution (Uttar Pradesh) Scheduled Tribes Order, 1967
- @ The Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Castes Order, 1968
- @ The Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes Order, 1968
- @ The Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970
- @ The Constitution (Sikkim) Scheduled Castes Order, 1978
- @ The Constitution (Sikkim) Scheduled Tribes Order, 1978
- @ The Constitution (Jammu & Kashmir) Scheduled Tribes Order, 1989
- @ The Constitution (SC) Order (Amendment) Act, 1990
- @ The Constitution (ST) Order (Amendment) Act, 1991
- @ The Constitution (ST) Order (Second Amendment) Act, 1991
- @ The Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act 2002
- @ The Constitution (Scheduled Castes) Order (Amendment) Act, 2002
- @ The Constitution (Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Orders (Amendment) Act, 2002
- @ The Constitution (Scheduled Castes) Orders (Second Amendment) Act, 2002

% 2. Applicable in the case of Scheduled Castes/Scheduled Tribes persons who have migrated from one State/Union Territory Administration to another.

This certificate is issued on the basis of the Scheduled Castes/Scheduled Tribes certificate issued to Shri/Shrimati\*..... Father/Mother of Shri/Shrimati/Kumari ..... of village/town\* ..... in District/Division\*..... of the State/Union Territory\*..... who belongs to the caste/tribe\* which is recognised as a Scheduled Caste/Scheduled Tribe in the State/Union Territory\* of ..... issued by the ..... dated .....

% 3. Shri/Shrimati/Kumari\*..... and/or\* his/her\* family ordinarily resides in village/town\*..... of..... District/Division\* of the State/Union Territory\* of.....

Signature.....  
\*\*Designation.....

(With Seal of Office)  
State/Union Territory\*

Place: .....

Date: .....

\*Please delete the words which are not applicable.

@Please quote specific Presidential Order.

% Delete the paragraph which is not applicable.

NOTE: The term "ordinarily reside (s)" used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the People Act, 1950.

\*\*List of authorities empowered to issue Scheduled Caste/Scheduled Tribe Certificate.

- (i) District Magistrate/Additional District Magistrate/Collector/Deputy Commissioner/Additional Deputy Commissioner/Deputy Collector/1st Class Stipendiary Magistrate/† Sub-Divisional Magistrate/Taluka Magistrate/Executive Magistrate/Extra Assistant Commissioner.  
†(not below of the rank of 1st Class Stipendiary Magistrate).
- (ii) Chief Presidency Magistrate/Additional Chief Presidency Magistrate/Presidency Magistrate.
- (iii) Revenue Officers not below the rank of Tehsildar.
- (iv) Sub Divisional Officer of the area where the candidate and/or his/her family normally resides.
- (v) Administrator/Secretary to Administrator/Development Officer(Lakshadweep)

This certificate is issued on the basis of the Scheduled Castes/Scheduled Tribes certificate issued to Shri/Shrimati\* \_\_\_\_\_ Father/mother \_\_\_\_\_ of Shri/Smt./Kumari\* \_\_\_\_\_ of ]

(यह प्रमाण पत्र विभाग के लेटर हेड पर प्रस्तुत करना होगा और जिस विभाग में उम्मीदवार काम कर रहा है उनके प्रमुख द्वारा भरना होगा।)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

१. यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री/डॉ. \_\_\_\_\_ (पदनाम) \_\_\_\_\_ दिनांक \_\_\_\_\_ से स्थायी क्षमता में काम कर रहे हैं। आवेदन पत्र में उनके द्वारा दिए गए विवरण सही हैं और उनके पास रिक्ति परिपत्र संख्या \_\_\_\_\_ दिनांक \_\_\_\_\_ में उल्लिखित शैक्षिक योग्यता और अनुभव है। इस संगठन को उपरोक्त परिपत्र में उल्लिखित \_\_\_\_\_ के पद पर उनके आवेदन करने पर कोई आपत्ति नहीं है।

२. यह प्रमाणित किया जाता है कि उनका वेतन स्तर \_\_\_\_\_ है। वह \_\_\_\_\_ रुपये \_\_\_\_\_ का मूल वेतन प्राप्त कर रहा है। उसकी अगली वेतन वृद्धि \_\_\_\_\_ को देय है।

३. यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री/डॉ. \_\_\_\_\_ का आई.सी.एम.आर.-आर.एम.आर.सी. एन.ई., डिब्रूगढ़ में \_\_\_\_\_ के पद पर चयन होने की स्थिति में, श्री/श्रीमती/सुश्री/डॉ. \_\_\_\_\_ को आई.सी.एम.आर. - आर.एम.आर.सी. एन.ई. द्वारा नियुक्ति पत्र जारी करने की तिथि से ०१ महीने की अवधि के भीतर कार्यमुक्त कर दिया जाएगा।

स्थान:

दिनांक:

हस्ताक्षर \_\_\_\_\_  
 नाम \_\_\_\_\_  
 पदनाम \_\_\_\_\_  
 टेलीफ़ोन नं \_\_\_\_\_  
 कार्यालय की मुहर \_\_\_\_\_

(यह प्रमाण पत्र विभाग के लेटर हेड पर प्रस्तुत करना होगा तथा जिस विभाग अभ्यर्थी कार्यरत है, उसके प्रमुख द्वारा भरना होगा।)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी \_\_\_\_\_ (पदनाम)  
\_\_\_\_\_ नामक परियोजना में कार्यरत हैं। इस संगठन को आई.सी.एम.आर.  
- आर.एम.आर.सी. एन.ई. विज्ञापन संख्या RMRCNE/1/2025 में उल्लिखित “\_\_\_\_\_” पद पर  
आवेदन करने पर कोई आपत्ति नहीं है।

हस्ताक्षर \_\_\_\_\_  
नाम \_\_\_\_\_  
पदनाम \_\_\_\_\_  
टेलीफ़ोन नं \_\_\_\_\_  
कार्यालय की मुहर \_\_\_\_\_

(यह प्रमाण पत्र विभाग के लेटर हेड पर प्रस्तुत करना होगा तथा जिस विभाग अभ्यर्थी कार्यरत है, उसके प्रमुख द्वारा भरना होगा।)  
आयु में छूट चाहने वाले केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी \_\_\_\_\_ एक केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी हैं, जो \_\_\_\_\_ के वेतनमान/वेतन स्तर में \_\_\_\_\_ के पद पर कार्यरत हैं तथा \_\_\_\_\_ से \_\_\_\_\_ के रूप में ग्रेड में ०३ वर्ष की नियमित/निरंतर सेवा कर चुके हैं।
2. उक्त भर्ती के लिए \_\_\_\_\_ के पद के लिए उनके उपस्थित होने तथा दस्तावेज सत्यापन पर कोई आपत्ति नहीं है।

हस्ताक्षर \_\_\_\_\_  
नाम \_\_\_\_\_  
पदनाम \_\_\_\_\_  
टेलीफ़ोन नं \_\_\_\_\_  
कार्यालय की मुहर \_\_\_\_\_